



भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आई.सी.सी.) ने साल 2021 की "सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर" चुना है। बीते साल एक नहीं बल्कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टी-20, टेस्ट क्रिकेट और वन डे क्रिकेट) में स्मृति ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। मंधाना ने पिछले साल 22 इंटरनेशनल मुकामों में 855 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। स्मृति मंधाना ने 2018 में भी यह पुरस्कार जीता था और वे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भी चुनी गई थीं। झूलन गोस्वामी के बाद यह पुरस्कार पाने वाली स्मृति दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। झूलन गोस्वामी को 2007 में यह पुरस्कार मिला था। पिछले साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन स्मृति मंधाना ने अपने बल्ले का कमाल जारी रखा। उन्होंने इस साल साउथ अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर टीम के खिलाफ जमकर रन बनाए। इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र पिक बॉल टेस्ट में भी मंधाना ने ऐतिहासिक शतक लगाया था। आई.सी.सी. ने पाकिस्तान के युवा गेंदबाज शाहीन अफरीदी को "पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर" घोषित किया है।

26 जनवरी को आतंकवादी गतिविधि की धमकी

हिजबुल मुजाहिदीन व "सिख फॉर जस्टिस" ने यह धमकी देते हुए सैकड़ों "ऑडियो मैसेज" भेजे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों को सोमवार को मिले अन्तर्राष्ट्रीय फोन कॉल से प्राप्त रिकॉर्डेड संदेशों के एक और प्रकरण के अन्तर्गत पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोहों को बाधित करने की धमकी दी है। उक्त आतंकी संगठन ने कश्मीरियों से घाटी छोड़कर दिल्ली जाने, वहीं अनुच्छेद 370 को रद्द किये जाने पर विरोध-प्रदर्शन करते हुये, बुधवार को वहाँ "कश्मीरी झंडा" फहराने का आह्वान किया है। एक अन्य

भीलवाड़ा में भी मूकबधिर युवती से गैंगरेप

भीलवाड़ा, 24 जनवरी (निर्स)। औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा की एक कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली मूकबधिर युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। हालांकि प्रशासन का इस मामले में भी यह कहना है कि मैडिकल बोर्ड की जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। कलेक्टर आशीष मोदी से मिली जानकारी के अनुसार मूलतः चित्तौड़गढ़ जिले के एक गांव की रहने वाली 18 वर्षीय युवती भीलवाड़ा शहर के पटेल नगर क्षेत्र में किराए के मकान में परिवार के साथ रहती है। सोमवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे युवती को ब्लॉडिंग ज्यादा होने की समस्या के चलते उसके पिता और बड़ी बहन बाइक पर एमजी हॉस्पिटल लेकर आए। ब्लॉडिंग का कारण जानने के लिए चिकित्सकों ने जब प्रैग्नेंसी जांच की तो उसके दो माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली। इस

■ ब्लॉडिंग होने पर प्रैग्नेंसी जांच की तो दो माह की गर्भवती होने की जानकारी मिली।

पर मामले से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया। एस्प्री सिद्धू ने बताया की चूँकि युवती बोलने और सुनने दोनों में असमर्थ है। अतः उसके द्वारा अपने परिजनों को अवगत करवायी गई जानकारी के आधार पर गत दिनों उसे तीन नकाबपोश युवक अगवा कर पटेल नगर ले गए थे, जहाँ दो युवकों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मैसेज में, इसी संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय पर "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" करने का दोषारोपण किया है क्योंकि उनसे अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दिये गये विशेषाधिकारों को रद्द किये जाने पर कुछ नहीं किया। एक ऑडियो मैसेज में, कश्मीरी मुजाहिदीन ने सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू-

■ ऑडियो मैसेज के अनुसार दोनों संगठनों ने कश्मीरियों से आग्रह किया है, प्र.मंत्री के कार काफिले पर हमला करें व कश्मीर का झण्डा फहराये दिल्ली में।

कश्मीर राज्य को दिये गये विशेषाधिकारों को रद्द करके "कश्मीरियों के प्रति अन्याय" के लिये जिम्मेदार ठहराया है। खालिस्तानी आतंकी ग्रुप "सिख फॉर जस्टिस" के संदेशों को दोहराते हुये, मुजाहिदीन ने कश्मीरियों का आह्वान किया है कि वे दिल्ली पहुँचकर वहाँ अपना झंडा फहरायें। ऑडियो में कहा गया है, "कश्मीरी मुजाहिदीन का यह मैसेज सर्वोच्च न्यायालय के लिये है। हमने कश्मीर घाटी को लड़ाई को दिल्ली तक ले जाने का निर्णय लिया है। (एस.एफ.जे. प्रमुख) पत्रू ने (कश्मीरियों से) घाटी छोड़कर, दिल्ली जाने का आह्वान किया है। अब मुजाहिदीन 26 जनवरी को राजधानी में कश्मीरी झंडा फहरायेंगे। अनुच्छेद 370 को रद्द कर के कश्मीरियों के प्रति अन्याय के लिये जितनी जिम्मेदार मोदी

जयपुर, 24 जनवरी (का.प्र.)। प्रदेश में किसान कर्जमाफी और किसानों की जमीन नीलामी के मामले में चल रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजभवन रोडा एक्ट संशोधन संबंधी विधेयक को अटका कर बैठा है, वहीं अब इस मामले में राजभवन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के स्तर पर राजभवन में रोडा एक्ट संशोधन संबंधी कोई विधेयक नहीं आया और ना ही राज्यपाल कलराज मिश्र के स्तर पर इसे अनुमोदन के लिए भेजा गया। पिछले दिनों जब राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी को लेकर नोटिस आने लगे और मामला गरमाया और विपक्ष ने जब राज्य सरकार पर

सुरक्षा में हुई चूक की जाँच के लिये सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जज सुश्री इन्दु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त कर चुका है। गणतंत्र दिवस के पूर्व सोमवार को दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था तब और सख्त कर दी जब उसे गुप्तचर संस्थाओं की ओर से अलर्ट किया गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सी.ए.ए.) नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनस विरोध प्रदर्शन और किसान आंदोलन के दौरान अति सक्रिय रहे लोगों पर नजर रखी जाए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लालकिला तथा सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उक्त अधिकारी ने कहा कि, गुप्तचर जानकारी के अनुसार कुछ लोग गणतंत्र दिवस के समारोह में व्यवधान डालने के लिए हिंसा चाहते हैं तथा ये ऐसे असामाजिक तत्वों के सम्पर्क में हैं, जो भारत में अस्थिरता पैदा करने वाली विदेशी ताकतों से समर्थित हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि उनकी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है तथा आतंकवाद के खिलाफ सभी 26 मानदण्डों के साथ सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण तालमेल है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के संबंध में उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में 20,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है तथा केन्द्रीय सशस्त्र बलों की 65 कम्पनियों भी तैनात की जाएगी।

हैं, जहाँ वह सबसे पहले अपने समर्थकों को यह कहते सुनाई दिया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को "ब्लॉक" कर दें तथा 26 जनवरी को दिल्ली से तिरंगा हटा दें। पहले के कॉलस में, इस प्रतिबंधित संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय के जजों को चेतावनी दी थी कि वे पंजाब में हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से संबंधित केस की सुनवाई करने से बचें। सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले, कम से कम 1000 ऐसे कॉल इंग्लैंड से प्राप्त हुये थे, जिनमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किये जाने के मामले जाँच को बिगाड़ने के लिये की जाने वाली कोशिशों का खुलासा किया गया था। ऑडियो कॉल में, पत्रू को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुये भी सुना गया था। सर्वोच्च न्यायालय,

आरोप लगाए, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया था कि हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन की नीलामी रोकने के लिए विधानसभा में रोडा एक्ट संशोधन विधेयक पास करके भेजा था। लेकिन राज्यपाल महोदय के स्तर पर उसका अनुमोदन नहीं होने के कारण राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की स्थितियाँ बनीं। वहीं इसी मामले में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन का धेराव का

एलान कर विरोध प्रदर्शन भी किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा था।

लेकर प्रदर्शन किया गया, उसका कोई आधार नहीं है। इस प्रकार का कोई भी

■ राजभवन का स्पष्टीकरण है कि, इस तरह का कोई विधेयक राजभवन को नहीं भेजा गया।
■ स्पष्टीकरण पर बोले डोटासरा- अधिकारियों ने राज्यपाल को सही जानकारी नहीं दी।

उसके बाद राजभवन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जिस मामले को

राजभवन की ओर से जारी विज्ञापित इसकी जानकारी दी गई। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को ज्ञापन देने आए किसानों के प्रतिनिधिमंडल को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। राजभवन के जवाब के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल को अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। राज्य सरकार ने

राज्यपाल को 5 एकड़ तक की जमीन नीलाम नहीं करने का बिल भेजा था। डोटासरा ने कहा कि किसानों की जमीन नीलामी रोधी बिल सीपीसी में अमेंडमेंट संबंधी बिल था। गृह विभाग ने 24 नवंबर 2020 को यह बिल राजभवन भेजा था। इस बारे में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आज तक यह बिल पास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को नीचे के अधिकारियों ने सही सूचना नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पारित होता तो भूमि नीलाम नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह बिल राजभवन से वापस सरकार के पास नहीं आया।

मंत्रियों को गाँवों से बाहर खदेड़ रही है। सी-नोटर सहित, विभिन्न सर्वेक्षणों ने भविष्यवाणी की है कि भाजपा को 403 सरकारी विधानसभा में 260 सीटें मिलेंगी तथा उसे 41 प्रतिशत वोट मिलेंगे। इस प्रकार का विश्लेषण जमीनी रिपोर्टों के अनुकूल नहीं बैठ रहा है। बागपत के छपरीली चुनाव क्षेत्र से लेकर बुलन्द शहर और आगरा तक विभिन्न

हैं कि एक सभा को संबोधित करते समय शोर करते हुये उन्हें हट किया गया तथा उन्हें सभा को संबोधित नहीं करने दिया गया। कुछ मामले ऐसे भी सामने आये हैं कि भाजपा विधायक प्रचार के लिये भारी सुरक्षा घेरे एवं व्यवस्था के साथ जा रहे हैं। जाहिर है कि ये रिपोर्टें चुनाव-पूर्व होने वाले सर्वेक्षणों के संकेतों एवं निष्कर्षों से पूरी तरह भिन्न हैं। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव,

जो सतारूढ़ भाजपा के समक्ष मुख्य चुनौती के रूप में उभरकर आये हैं, ने इन सर्वेक्षणों के आधार पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं तथा इन "ओपिनियन पॉल्स" को "ओपियम पॉल्स" (अफीमची पोल) की संज्ञा देते हुये खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के सर्वेकेवल मतदाताओं को "गुमराह वंदित्रप्रमित" करने के लिये किये जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर माँग की है कि इन ओपिनियन पॉल्स को समाचार चैनलों पर प्रसारित किये जाने पर तुरन्त रोक लगाई जाये। पार्टी ने कहा है कि यह करके आदर्श आचार संहिता का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार, भाजपा को लगभग 260 सीटें मिलेंगी, परन्तु जमीनी सच्चाई यह है कि, विशेषकर, वैस्टर्न यू.पी. में उम्मीदवारों और मंत्रियों को प्रचार के लिये गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है।
■ एक भाजपा विधायक जब पश्चिमी यू.पी. में एक गांव में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो गांव वालों ने उन्हें स्कूल भवन में बंद कर दिया।
■ यहां तक कि, उप मु.मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जब ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे तो, उन्हें काले झण्डे दिखाये गये, नारेबाजी हुई और उन्हें सभा को संबोधित नहीं करने दिया गया।

‘हेट स्पीच’
-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जनवरी। आर.एस.ए. द्वारा मुस्लिमों के खिलाफ प्रणास्पद भाषणों का समर्थन करने के एक दिन बाद दो हिंदू संगठनों- हिंदू सेना और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। और मुस्लिमों के विरुद्ध हेट स्पीच संबंधी लंबित याचिका में शामिल करने के मांग की और इसके जवाब में ऐसे इन्टरनेट लिंक का हवाला दिया जिसमें मुस्लिम नेताओं ने भी इसी प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए हैं। गत 12 जनवरी को चीफ जस्टिस

■ दो हिन्दू संगठनों, हिन्दू सेना व "हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस", ने भी सुप्रीम कोर्ट में हिन्दू संगठनों द्वारा आयोजित समारोह में "हेट स्पीच" के खिलाफ पत्रकार कुरबान अली द्वारा याचिका की सुनवाई में शामिल होने की अर्ज़ी डाली।

ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बैंच ने पत्रकार कुरबान अली और पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज एवं सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड और दिल्ली पुलिस से जवाब-तलब किया था। इस याचिका में उन लोगों के विरुद्ध जांच व कार्यवाही की मांग की गई थी जिन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट से बीस लाख करोड़ रु. डूबे निवेशकों के

जैसा कि विदित ही है, हिन्दुस्तान के स्टॉक मार्केट में सबसे निर्णायक भूमिका विदेशी निवेशकों की है, क्योंकि भारी विदेशी पूंजी लगी है भारतीय स्टॉक मार्केट में

-अंजन राँय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जनवरी। सोमवार को शेयर बाजार धराशायी हो गया और ऐसा हुआ बाजार के कुछ टेक्नीकल करैक्शन्स और विपरीत असर डालने वाली कई वैश्विक घटनाओं की वजह से।

स्टॉक मार्केट में आयी आज की गिरावट सहित पिछले कुछ सत्रों में शेयर्स के मूल्यों में आई कमी ने निवेशकों को करीब 20 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। वैश्विक अस्थिरता के साथ-साथ महंगाई के संभावित दबाव के भय के बीच निवेशकों का रुझान कमजोर पड़ गया है। चूँकि भारतीय शेयर बाजार पर वर्तमान में बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों का प्रभुत्व है, इसलिए भारत के घरेलू शेयर बाजार को विशुद्ध आंतरिक घटनाक्रमों के बजाए वैश्विक

- अतः अन्तर्राष्ट्रीय भय, निराशा के "सेन्टिमेंट" से बहुत प्रभावित होता है, भारतीय स्टॉक मार्केट।
- फिलहाल अमेरिका में "प्राइज़ राइज़" (महंगाई) 7 प्रतिशत है। इतनी महंगाई तीन दशक में नहीं हुई।
- इस महंगाई के कारण अमेरिका के रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की भारी संभावना है। ब्याज दर बढ़ने से पूंजी निवेशक पैसा शेयर मार्केट के निकालकर बॉण्ड्स या सिक्युरिटीज़ में लगा देते हैं, अतः स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आती है।
- इसके अलावा साऊथ चाइना सी में अमेरिका व जापान बड़ा भारी नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं तथा चीन ने भी 39 एयर क्राफ्ट इस क्षेत्र में भेजे हैं, युद्धाभ्यास के लिये। दोनों युद्धाभ्यास एक दूसरे के इतने नजदीक हो रहे हैं कि, जरा सी गलती से युद्ध छिड़ सकता है। इस भय से अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट आयी है, जिसका सीधा असर भारत के स्टॉक एक्सचेंज पर आया है।

आशंकाएं और उम्मीदें अधिक प्रभावित करती हैं। दिन के दौरान रही नर्वस ट्रेडिंग में कई महत्वपूर्ण सैक्टर के शेयर्स को नुकसान पहुंचा। लोहा और इस्पात,

धातुएं और टैक्नॉलजी सैक्टर के शेयर्स सहित करीब-करीब सभी सैक्टर के शेयर्स के दाम गिर गए। टैक्नॉलजी सैक्टर के कुछ शेयर्स के भाव में कुछ

समय से काफी ऊपर थे, इसलिए इन्हें भारी नुकसान हुआ। तथापि, शेयर मूल्यों में आई कमी की प्राथमिक वजह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आलोचना से बेपरवाह है चीन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जनवरी। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि विंटर ओलम्पिक्स में कुछ ही दिन बचे हैं, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने आलोचकों की एक नहीं सुन रहे हैं तथा इस समारोह को अपने

■ चीन को "ज़ीरो टॉलरेंस" नीति की सख्त अनुपालना के कारण ही "विन्टर ओलंपिक" का आयोजन आवंटित किया गया था, अतः चीन अब अन्तर्राष्ट्रीय दबाव व आलोचना की परवाह किये बगैर विन्टर ओलंपिक के आयोजन पर आमादा है।

तरीके और अपनी शर्तों पर आयोजित कर रहे हैं। चीन को अब दुनिया के सामने खुद को साबित नहीं करना है, जैसा चीन ने 2008 के "समर ओलम्पिक्स" में किया था। चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी के स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल को रद्द कर दिया है तथा अपनी स्वयं की कठोर "ज़ीरो कोविड" नीति को कायम रखा है। उसने ब्रॉडकास्टर्स तथा स्पॉन्सरों को चेतावनी दे दी है कि हॉगकोंग में जा रही सख्ती एवं शिनजिआंग में दमन को लेकर किए गए बहिष्कार के आह्वान के समक्ष झुके नहीं, पत्रू को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं।

रोडा एक्ट संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और सरकार आमने-आमने

मुख्यमंत्री ने कहा था-रोडा एक्ट संशोधन विधेयक का राज्यपाल स्तर पर अनुमोदन नहीं होने से किसानों की जमीन नीलामी की स्थितियाँ बनीं

मुख्यमंत्री ने कहा था-रोडा एक्ट संशोधन विधेयक का राज्यपाल स्तर पर अनुमोदन नहीं होने से किसानों की जमीन नीलामी की स्थितियाँ बनीं

एलान कर विरोध प्रदर्शन भी किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा था।

लेकर प्रदर्शन किया गया, उसका कोई आधार नहीं है। इस प्रकार का कोई भी

राजभवन की ओर से जारी विज्ञापित इसकी जानकारी दी गई। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को ज्ञापन देने आए किसानों के प्रतिनिधिमंडल को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। राजभवन के जवाब के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मोडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल को अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। राज्य सरकार ने

राज्यपाल को 5 एकड़ तक की जमीन नीलाम नहीं करने का बिल भेजा था। डोटासरा ने कहा कि किसानों की जमीन नीलामी रोधी बिल सीपीसी में अमेंडमेंट संबंधी बिल था। गृह विभाग ने 24 नवंबर 2020 को यह बिल राजभवन भेजा था। इस बारे में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आज तक यह बिल पास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को नीचे के अधिकारियों ने सही सूचना नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पारित होता तो भूमि नीलाम नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह बिल राजभवन से वापस सरकार के पास नहीं आया।

ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बैंच ने पत्रकार कुरबान अली और पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज एवं सीनियर एडवोकेट अंजना प्रकाश द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड और दिल्ली पुलिस से जवाब-तलब किया था। इस याचिका में उन लोगों के विरुद्ध जांच व कार्यवाही की मांग की गई थी जिन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)